न्यायालय में, श्रीमान सदस्य महोदय , राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0।

निगरानी - 5999/2018/शहडोल/भू.रा.

144

1- इन्द्रमणि मिश्रा पिता स्व0 श्री शोभनाथ मिश्रा,
निवासी ग्राम गोरतरा तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल म0प्र0।

2- श्रीमती भानुमती मिश्रा पिता केशव प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम गोरतरा तहसील सोहागपुर, जिला- शहडोल (म0प्र0)

------ आवेदकगण

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शहडोल म.प्र. ------ अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव 3-10-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 16-10-18

क्लर्क 3-10-18
राजस्व मण्डल, म.प्र.

मुकेश भार्गव
3-10-18
ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्व आदेश आयुक्त महोदय शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 82/ निगरानी /09-10 आदेशदिनांक 03.08.2010

===

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959ई0।

===

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर महोदय शहडोल जिला- शहडोल के प्र0क्र0 83/ निगरानी / 93-94 आदेश दिनांक 31.8.1994 के विरूद्व श्रीमती शैल कटारे द्वारा आयुक्त संभाग शहडोल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसमे आयुक्त संभाग शहडोल द्वारा उक्त प्रकरण मे जरिये प्र0क्र0- 71/निगरानी / 2003-2004 पंजीबद्ध कर दिनांक 13.7.2004 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था । उक्त आदेश के विरूद्व श्रीमती कुसुमलता सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी, प्रस्तुत की गई थी जिसमे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 03.07.2009 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रश्नाधीन आराजी 74 एकड़ में किसी भी हिस्से कानामान्तरण पर रोक लगाने का आदेश...

कि.अ. भानुमति मिश्रा

राजस्व मण्डल
पेज 01 13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्र.क्र.–5999 / 2018 / शहडोल / भू.रा.

इन्द्रमणि मिश्रा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –01–19	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारस्तव को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 08–01–2019 सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्र0क्र0 82/निग./2009–10 में पारित आदेश दिनांक 03–08–2010 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी में तहसीलदार सोहागपुर से प्रतिवेदन प्राप्त कर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये भूमि की अफरा–तफरी न हो इस उद्देश्य से राजस्व रिकॉर्ड में अस्थाई रूप से भूमि पूर्ववत मध्यप्रदेश शासन जंगल झुड़पी दर्ज करने के आदेश दिये है। 2/ आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना आयुक्त द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया है, यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं। यदि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमियों में हक है तब उसे	

14.1.19

अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त के समक्ष पक्षकार बनाने संबंधित कार्यवाही करनी चाहिये थी । क्योंकि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने संबंधित कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर पक्षकार बनने संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिये आवेदक स्वतंत्र है।

3/ आयुक्त का निर्णय अन्तरिम प्रकार का है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आयुक्त के समक्ष प्रकरण में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। अतः निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

4/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य 14.01.2019